कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2018–19/गोप्र/प्रमुवसं/ दिनांकः– 2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 36 (ख) के अनुसार वर्ष 2018–19 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10 जून 2019 को आयोजित हुई। जिसमें श्री तरूण रावत पुत्र सूरजभान रावत वनपाल को उप वन संरक्षक, बांरा के ज्ञापन संख्या 16623 दिनांक 7.10.2014 से सी.सी.ए. 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण अभिशंषा बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक, बांरा के आदेश क्रमांक सम 10009–15 दिनांक 24.9.2019 द्वारा श्री तरूण रावत वनपाल को एक वेतन वृद्धि असचित प्रभाव से रोके जाने एवं राज्य सरकार को हुए नुकसान रूपये 2,20,073/– की 30 प्रतिशत राशि 66022/– इनसे वसूली योग्य है जो एक मुश्त अथवा 10 बराबर मासिक किश्तों में वसूल किए जाने के आदेश दिए जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को दिनांक 2.3.2020 को खोला गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री तरूण रावत द्वारा मुख्य वन संरक्षक कोटा कार्यालय में अपील किए जाने पर मुख्य वन संरक्षक कोटा के आदेश क्रमांक 2493–98 दिनांक 3.6.2020 द्वारा उप वन संरक्षक, बांरा के दण्डादेश संख्या 10009–15 दिनांक 24.9.2019 से श्री तरूण रावत वनपाल को एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोकने एवं राशि रूपये 66022/– वसूली के दण्ड को अपास्त किया जाकर प्रकरण को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के वेतनमान एल–10 (33800–106700) में पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते है:–

क्र. स.	नाम कर्मचारी श्री	पिता का नाम श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	तरूण रावत	सूरजभान रावत	उप वन संरक्षक, बांरा	क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाडा, उवस बांरा

श्री तरूण रावत वनपाल द्वारा दिनांक 10.7.2020 तक क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा की ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.वी.रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)
राज.जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2017–18/गोप्र/प्रमुवसं/5080–5085/c दिनांकः–02.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारा को प्रेंषित कर लेख है कि श्री तरूण रावत वनपाल को तत्काल भार मुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में दिनांक 10.7.2020 तक उपस्थिति देने हेतु निर्देशत करें।
3. प्रतिलिपि कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री तरूण रावत वनपाल द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, बांरा
5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षी पत्रावली।

(जे.एस.दहिया)
उप वन संरक्षक (प्रस्था. अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर